झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को मिलेगा अंशदायी पेंशन योजना का लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड के 836 प्रारंभिक सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा 134 माध्यमिक अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- इसके तहत इन स्कूलों के उन कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जो 1 दिसंबर, 2004 या इसके बाद नियुक्त हैं।
- गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार के मामले में पारित आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया है। इसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के प्रजेंटेशन पर आवश्यक निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया था।
- विभाग द्वारा इन स्कूलों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने को लेकर जारी घोषणा में कहा गया है कि चूँकि इनकी नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से हुई है, इसलिये समिति को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी 'नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड' से निबंधित होना होगा। साथ ही प्रत्येक कर्मियों को योगदान के साथ ही परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर लेना होगा।
- कर्मियों के मूल वेतन तथा अनुमान्य जीवनयापन भत्ता में से दस प्रतिशत राशि से काटी जाएगी, जो नियोक्ता अंशदान के रूप में एनपीएस खाता में जमा की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-minority-school-employees-to-get-benefit-of-contributory-pension-scheme